विवरणिका

रजि. नं. 144/जयपुर/2008-09

मोबाइल : 9314618091

स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय

रूपनगढ़, अजमेर

राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं
एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्ध

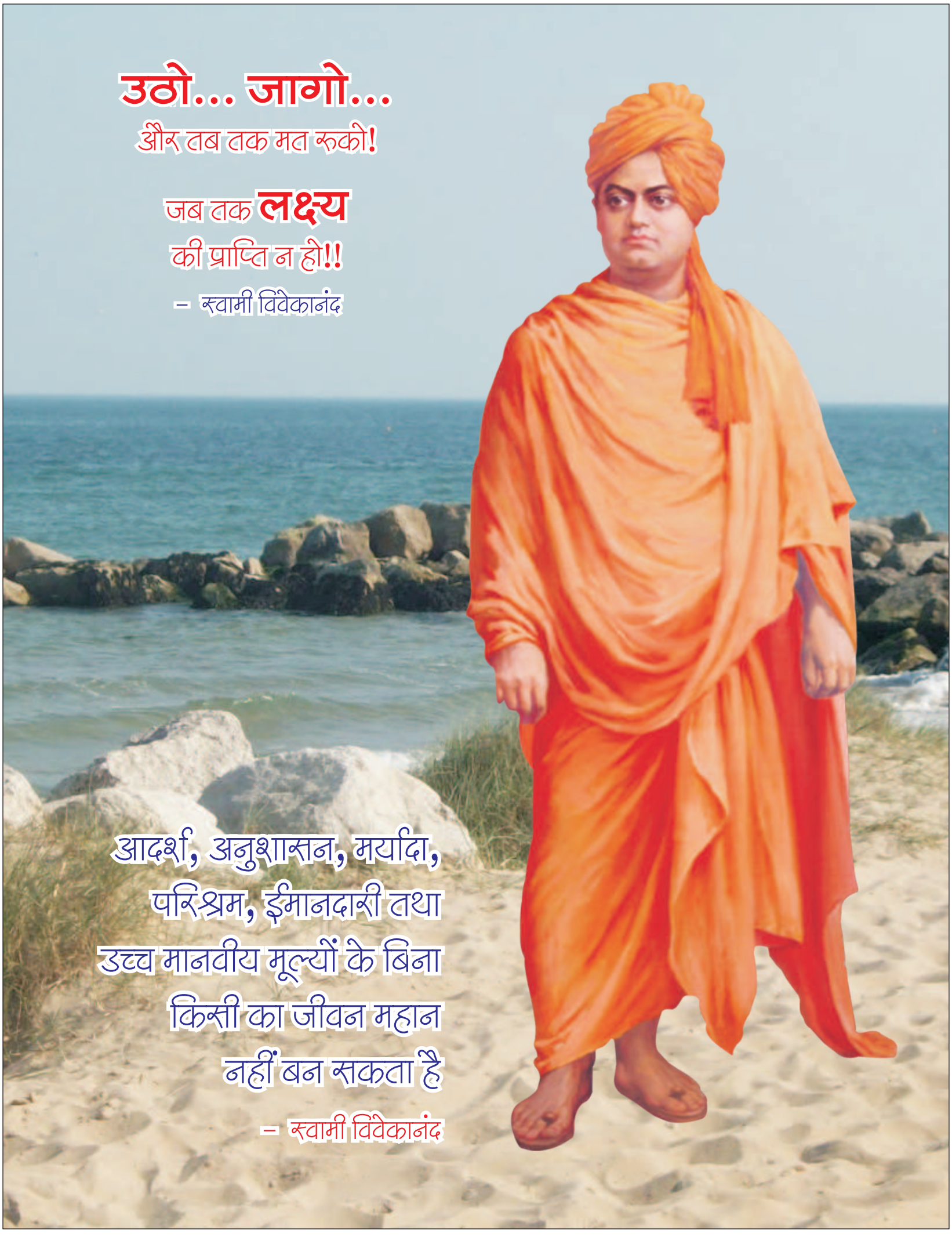
उठो... जागो...
और तब तक मत रुको!
जब तक लक्ष्य
की प्राप्ति न हो!!
– स्वामी विवेकानंद
आदर्श, अनुशासन, मर्यादा,
परिश्रम, ईमानदारी तथा
उच्च मानवीय मूल्यों के बिना
किसी का जीवन महान
नहीं बन सकता है
– स्वामी विवेकानंद

उद्बोधन

Welcome to SVMM

मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी ने शिक्षा के क्षेत्र में 2008-09 में प्रवेश किया था जो आज शोध सुविधायुक्त स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय के रूप में आपके समक्ष उन्नत मस्तक लिए हुए खड़ा है। केवल व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुए दी गई शिक्षा समाज के लिए कल्याणकारक नहीं है। अतः शिक्षा का उद्देश्य समाज कल्याण ही रखकर चलाया जाता रहा है किंतु भविष्य की राह आसान नहीं है। आगे हमें इस क्षेत्र में बहुत सी चुनौतियाँ मिलने वाली हैं, जिनसे हमें दो-दो हाथ करने को तैयार रहना होगा। आज देश में निजी विश्वविद्यालयों को भी प्रारम्भ करने की अनुमति दी जा रही है जो स्वयं अपने पाठ्यक्रम तैयार कर पढ़ा सकेंगे। एक संस्था के रूप में हमारा अन्तिम उद्देश्य वहीं पहुँचना है। मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी की संस्थाएँ समाज कल्याण के उद्देश्य से कार्यरत है। समिति के द्वारा रूपनगढ़ में प्रथम महिला महाविद्यालय सत्र 2016-17 से प्रारम्भ किया जा रहा है।

Education is the Power of knowing things, what is right and wrong, analyzing things on their merit rather than toning what people say or believe. Education is emancipation from all that is dark and dreary and it is a step towards the end of the dark tunnel where the light is.

Educating students is a work of social onus. There with, educating women specifically is a great step ahead in the journey of equality where women share the responsibility of men in daily work of life.

SVMM is an organization established in the year 2016-2017 with faculty of Arts. Even since that time of the organization has risen to greater heights, rendering excellent education in various disciplines.

यह मान्यता है कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को औपचारिक व्यवसायिक शिक्षा निरन्तर प्राप्त करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है, संप्रेषण कौशलपुष्ट होता है तथा आचार संहिता के प्रति वचनबद्धता बढ़ती है। इन्हीं सभी मूल्यों को प्रयोगिक रूप में शिक्षा जगत में स्थापित करने हेतु मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी द्वारा सत्र 2016-2017 से स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जो रूपनगढ़ कस्बे का प्रथम एक मात्र महिला महाविद्यालय है।

डॉ. बी.एल. देवन्दा
सचिव
महाविद्यालय शिक्षा समिति

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

प्रिय अभिभावक बन्धुओं,

आपके शहर रूपनगढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय शिक्षा समिति द्वारा स्वामी विवेकानन्द महिला महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। रूपनगढ़ कस्बे एवं आस पास के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च अध्ययन हेतु रूपनगढ़ से 25 कि.मी. दूर किशनगढ़ जाना पड़ता है। जिससे छात्राओं एवं अभिभावकों दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं अधिकांश मेधावी छात्राओं को स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

इसी समस्या को ध्यान रखते हुए बालिकाओं के स्वर्णिम सपनों को साकार करने हेतु रूपनगढ़ में ही महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

महाविद्यालय परिवार का एक अंग है छात्रा और उसी छात्रा के अभिभावक होने के नाते आपका महाविद्यालय से सीधा सम्बन्ध स्थापित होने जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित इस विवरणिका का भली भाँति अध्ययन करेंगे एवं महाविद्यालय के नियमों की पालना करने में हमारा सहयोग करेंगे। नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे एवं समय-समय पर महाविद्यालय से जानकारी प्राप्त करते रहेंगे।

इस पुनीत कार्य में आप सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि अपनी बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य को साकार करने में सहयोग प्रदान करे।

शुभकामनाओं सहित।

बजरंग लाल भाखर
अध्यक्ष
महाविद्यालय शिक्षा समिति

महाविद्यालय के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम

महाविद्यालय के उद्देश्य

1. महिला उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
2. निर्धन, विकलांग एवं अशक्त महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था करना।
3. प्रौढ शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. सामाजिक जागृति हेतु कार्य योजनाओं का संचालन करना।
5. नि:शुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
6. संस्कार प्रधान शिक्षा प्रदान करना एवं सांस्कृतिक मूल्यों का परिक्षण।
7. गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता कार्यक्रमों का संचालन करना।
8. विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर सेमिनार एवं गोष्ठियाँ आयोजित करना।
9. शिक्षा दान योजना का संचालन कर अशक्तों के लिए नि:शुल्क शिक्षण की व्यवस्था करना।
10. मानवीय गुणों का विकास कर श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना।
11. पर्यावरण-संरक्षण हेतु सामाजिक जागृति लाना।
12. शहरी एवं ग्रामीण परिवेश में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाना।
13. संस्कार युक्त, चरित्रवान एवं व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास की शिक्षा प्रदान करना।

स्नातक पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अध्यापन की व्यवस्था है तथा पाठ्यक्रम एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं पाठ्यक्रमों के अनुरूप है।

कला संकाय

अनिवार्य विषय :

(1) सामान्य हिन्दी
(2) सामान्य अंग्रेजी
(3) प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
(4) पर्यावरणीय अध्ययन

वैकल्पिक विषय :

निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना है :-

(1) हिन्दी साहित्य
(2) भूगोल
(3) समाजशास्त्र
(4) इतिहास
(5) राजनीति विज्ञान
(6) अर्थशास्त्र
(7) गृह विज्ञान
(8) संस्कृत
(9) अंग्रेजी साहित्य
(10) लोक प्रशासन
(11) चित्रकला
(12) राजस्थानी
(13) गणित
(14) दर्शन शास्त्र

महाविद्यालय के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम

विज्ञान संकाय

अनिवार्य विषय :

(1) सामान्य हिन्दी
(2) सामान्य अंग्रेजी
(3) प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
(4) पर्यावरणीय अध्ययन

वैकल्पिक विषय :

निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना है :-

(1) रसायन शास्त्र
(2) प्राणी शास्त्र
(3) भौतिक शास्त्र
(4) वनस्पति शास्त्र
(5) गणित

वाणिज्य संकाय

अनिवार्य विषय :

(1) सामान्य हिन्दी
(2) सामान्य अंग्रेजी
(3) प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
(4) पर्यावरणीय अध्ययन

वैकल्पिक विषय :

निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना है :-

(1) लेखा तथा व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST)
(2) सांख्यिकी (Statistics)
(3) आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रबन्ध (EAFM)
(4) व्यावसायिक प्रशासन (Buss. Admn.)
(5) अर्थशास्त्र (Economics)

प्रवेश सम्बन्धी नियम

(1) महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय/विषय में जितनी छात्राओं की सीटें निश्चित है उतने ही स्थानों पर प्रवेश देय होगा।

(2) प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन, निर्धारित आवेदन पत्र पर ही जो पुस्तिका के साथ संलग्न है, करना होगा। प्रवेश नहीं मिलने की दशा में आवेदन पत्र लौटाया नहीं जाएगा।

(I) महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार प्रारम्भ होगा। प्रवेश लेते समय छात्रा अपना आवेदन-पत्र सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगी। जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि तक घोषित नहीं होते हैं वह छात्रा कॉलेज शिक्षा निदेशालय के नियमों के अनुसार अपने आवेदन-पत्र प्रवेश हेतु प्रस्तुत कर सकेंगी।

(II) अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रवेशार्थी आवेदन-पत्र भरते समय निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र एवं सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न करेंगे :-

(I) प्रथम वर्ष की छात्राओं का, जिन्होंने अन्तिम परीक्षा किसी अन्य शिक्षण संस्था से नियमित छात्रा के रूप मेंउत्तीर्ण की है:-

(क) अन्तिम संस्था के स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति।

(ख) उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंकतालिका एवं दो सत्यापित प्रतिलिपि।

(ग) मूल चरित्र प्रमाण पत्र।

(घ) सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।

(ड) एम.डी.एस. विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर से आने वाले प्रवेशार्थियों को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(च) यदि प्रवेशार्थी ने पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लिया है तो उनके प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें।

नोट : यदि किसी छात्रा को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा में बैठना है या उसे महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् अपनी अंक तालिका की प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है तो उसे अपनी मूल अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि करा कर अपने पास रख लेनी चाहिए। कार्यालय में मूल अंक तालिका जमा हो जाने पर उसे नामांकन के लिए विश्वविद्यालय से वापस आने पर ही लौटाई जाएगी।

(II) उन प्रवेशार्थियों को, जिन्होंने अन्तिम परीक्षा स्वयंपाठी छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की है :-

(क) अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की मूल अंक तालिका एवं दो सत्यापित प्रतिलिपि।

(ख) सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि

(ग) दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण-पत्र जो 3 माह से अधिक पुराना न हो (प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्ति छात्रा के संबंधी न हो।)

(III) यदि छात्रा अनुसूचित जाति/जनजाति की है तो उसकी पुष्टि हेतु जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के दण्डनायक का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(IV) खेल आदि में विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, जिसके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।

(4) विभिन्न कक्षाओं में (जिनके अध्यापन के लिए महाविद्यालय, एम.डी.एस. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है) प्रवेश के पात्र छात्राओं की योग्यता सूची बनाकर वरीयता क्रम में प्रवेश किये जायेंगे तथा प्रवेश आदि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

(5) नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर तदनुसार संशोधित नियम ही लागू होंगे।

(6) उन छात्राओं को भी, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा में बैठने वाले हों, उन्हें आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। यह प्रवेश छात्रा के स्वयं के उत्तरदायित्व पर होगा। अस्थाई प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा। ऐसे प्रवेशार्थियों की उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जाएगी। ऐसी छात्रा पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर अपनी मूल अंक तालिका व उसकी दो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ कार्यालय में जमा करा दें। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो उनका प्रवेश प्रथम वर्ष में करना संभव नहीं हो सकेगा।

टिप्पणी : राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त किसी भी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रा (पूरक नहीं) को प्रवेश स्थान रिक्त होने पर ही दिया जा सकेगा।

(7) गैर महाविद्यालयी छात्राओं को विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार तथा स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकता है।

प्रवेश एवं शुल्क सम्बन्धी नियम

(8) आवेदन पत्र पर छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।

(9) यदि प्रवेशार्थी आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे प्राचार्य विशेष स्थिति में अस्थायी प्रवेश दे सकते हैं। प्रवेशार्थी को स्वयं ही प्रवेश तिथि के पन्द्रह दिन के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश को स्थायी करा लेना होगा। निश्चित समय के बाद भी प्रार्थना पत्र अपूर्ण रहने पर बिना सूचना दिये प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। इसे संबंधित विद्यार्थी कृपया नोट कर लें।

(10) जिन छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, उन्हें निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करा कर उसकी रसीद, प्रवेश पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वत: ही निरस्त हो जायेगा।

(11) किसी भी आवेदक का प्रवेश तब ही पूर्ण माना जाएगा जबकि उसका सक्षम अधिकारी से साक्षात्कार हो गया हो, उसे प्रवेश की स्वीकृति दे दी गयी हो, छात्रा ने सभी आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र तथा शुल्क आदि जमा करा दिये हों तथा विश्वविद्यालय में उसका नामांकन हो गया हो।

(12) प्रवेश हो जाने पर फीस की रसीद प्रस्तुत कर कार्यालय से अपना परिचय पत्र प्राप्त कर लें। इसे महाविद्यालय में सदैव अपने साथ रखना होगा।

(13) जब आवेदक को प्रवेश मिल जाता है तो उसे कार्यालय से प्रवेश पत्र शीघ्रातीशीघ्र प्राप्त कर संबंधित प्राध्यापकों को दिखाकर यथाशीघ्र उनके उपस्थिति रजिस्टर में नाम लिखा लेना चाहिए। प्रत्येक विषय के प्राध्यापकों के रजिस्टर में अपना नाम लिखाने का उत्तरदायित्व स्वयं छात्रा का है। यदि किसी कारण से प्रवेश पत्र खो जाये तो कार्यालय में सौ रुपये जमा करवाकर नया प्रवेश पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर लें। प्राध्यापक के उपस्थिति रजिस्टर में नाम केवल प्रवेश पत्र के आधार पर ही लिखा जाएगा।

(14) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष प्रवेश पत्र प्राप्त करते ही महाविद्यालय द्वारा एक अनुक्रमांक दिया जाता है जिसे वह अपने नाम के साथ सत्रान्त तक प्रयोग करेगा। सभी प्रकार के आवेदनों में नाम के साथ महाविद्यालय अनुक्रमांक देना आवश्यक है।

(15) विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रथम वर्ष की छात्रा को विश्वविद्यालय में नामांकन करना आवश्यक है। नामांकन आवेदन पत्र समय पर प्रस्तुत करना व विश्वविद्यालय में नामांकन छात्रा का स्वयं का उत्तरदायित्व है। छात्रा से इस आवेदन का शुल्क प्रवेश के समय ही ले लिया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् नामांकन के लिए आवेदन करने पर निश्चित विलम्ब शुल्क भी देना होगा।

(16) किसी अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को एम.डी.एस. विश्वविद्यालय में नामांकन कराने हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रव्रजन प्रमाण पत्र भी लगाना पडता है। अत: छात्राओं को चाहिए कि अपने अन्तिम विश्वविद्यालय/बोर्ड से यह प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्राप्त कर लें। ऐसी छात्राओं का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अन्तिम परीक्षा पास करने की दशा में प्रव्रजन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रवेश एवं शुल्क सम्बन्धी नियम

(17) प्रथम वर्ष की छात्राओं द्वारा लिए गए विषयों को प्रवेश के बाद परिवर्तन वि.वि. द्वारा निर्धारित तिथि तक ही (प्रवेश तिथि के 15 दिन बाद) 100/- शुल्क देने पर ही संभव हो सकेगा। निर्धारित तिथि के बाद विषय परिवर्तन संभव नहीं होगा।

(18) महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, या उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया अथवा उसके प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई या उसने महाविद्यलय नियमों का उल्लंघन किया या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं के हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जाएगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा तथा अगले सत्र में उसका प्रवेश प्राचार्य के विवेक पर निर्भर करेगा।

(19) सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें अन्यथा प्रवेश अवैध समझा जायेगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगी।

(20) विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय से प्राप्त प्रवेश संबंधी नियम आदेश प्राप्ति के साथ ही स्वत: मान्य होंगे।

(21) प्राचार्य को किसी भी प्रवेशार्थी का बिना कोई कारण बताये प्रवेश निरस्त करने का अधिकार है।

शुल्क सम्बन्धी नियम

(1) पाठन शुल्क पूरे वर्ष का जमा कराना होगा, प्रवेश चाहे सत्र के किसी भी दिन हुआ हो।

(2) एम.डी.एस. विश्वविद्यालय का नामांकन शुल्क महाविद्यालय में प्रथम प्रवेश पर ही देना होगा। यदि कोई छात्रा एम.डी.एस. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालय में रहकर एम.डी.एस. विश्वविद्यालय में पहले ही नामांकित हो चुकी है तो उसे यह शुल्क जमा नहीं कराना होगा किन्तु इस दशा में छात्रा प्रवेश आवेदन पत्र अपनी नामांकन संख्या लिखेगी और मूल प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगी।

(3) किसी अन्य विश्व विद्यालय/बोर्ड के छात्राओं को पात्रता शुल्क प्रव्रजन प्रमाण पत्र के साथ जमा कराना होगा।

(4) प्रत्येक छात्रा को चाहिए कि महाविद्यालय में जमा शुल्क की सभी रसीदें जब तक वह महाविद्यालय में अध्ययन करती है, सुरक्षित रखे।

महाविद्यालय से छात्रा की निवृत्ति

(1) प्रत्येक छात्रा वार्षिक परीक्षा होते ही महाविद्यालय से निवृत्त हो जाती है और आगामी सत्र के लिए पुन: आवेदन पत्र देने पर उसे प्रवेश मिलता है। यदि कोई छात्रा सत्र के बीच में महाविद्यालय छोडना चाहे तो उसे लिखित में आवेदन करना होगा।

(2) किसी छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तब ही मिलेगा जबकि उसने सभी शुल्क जमा कराकर पुस्तकालय व अन्य विभागों से बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो।

(3) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा आवश्यक शुल्क जमा कराना होगा। आवेदन पत्र कार्यालय में 50 रु. देकर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रवेश एवं शुल्क सम्बन्धी नियम

छात्रवृत्तियाँ

महाविद्यालय की छात्राओं को प्रदाता द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, प्रतिवर्ष निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करवायी जाती है :-

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- आवश्यकता मय योग्यता छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति
- राष्ट्रीय ऋण योग्यता छात्रवृत्ति
- अल्प आय वर्ग छात्रवृत्ति
- अंध, बधिर अथवा विकलांग छात्रवृत्ति
- अध्यापकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
- स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति
- सेवारत मृत राज्य कर्मचारियों पर आश्रित छात्राओं को छात्रवृत्ति
- भारत, पाक एवं चीन युद्धों में मृतक सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं को छात्रवृत्ति

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक छात्रा की हर विषय में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है राज्य सरकार तथा कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा उपस्थिति के संबंध में कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कुल व्याख्यानों की संख्या सत्र के प्रारम्भ से ही गिनी जाएगी, चाहे छात्रा ने सत्र के किसी भी दिन प्रवेश लिया हो।

विषय परिवर्तन करने वाली छात्रा इस संदर्भ में सतर्क रहे। प्रत्येक छात्रा का दायित्व है कि वह हर माह के अन्त में संबंधित प्राध्यापक से अपनी उपस्थिति ज्ञात कर ले। उपस्थिति कम होने की दशा में उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा।

प्रत्येक सेमेस्टर के अंत अर्थात् दशहरा, दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा वार्षिक परीक्षा से पूर्व जिन छात्राओं की उपस्थिति वांछित उपस्थिति से कम होगी, उनकी सूचना, सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी।

विश्वविद्यालय परीक्षा

विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रा को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी -

(क) जिस परीक्षा में छात्रा सम्मिलित हो रही है, उसके लिये उसने विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक योग्यता पूरी कर ली है।

(ख) उसका विश्वविद्यालय में नामांकन हो गया है।

(ग) उसकी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमानुसार पूरी है।

(घ) छात्रा ने महाविद्यालय के प्रति सभी प्रकार देयता का भुगतान करके बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र ले लिया है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय का पुस्तकालय एवं वाचनालय एक विशाल एवं सुन्दर भवन में स्थित है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का उत्कृष्ट संग्रह है और प्रतिवर्ष नियमित रूप से नई पुस्तकें भी खरीदी जाती है।

वाचनालय में दैनिक समाचार पत्र तथा विभिन्न विषयों की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ नियमित रूप से आती है।

प्रत्येक छात्रा से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह पुस्तकालय एवं वाचनालय का अधिकाधिक उपयोग करें एवं अपना समय इधर-उधर व्यर्थ नष्ट न करे।

(क) छात्राओं के लिए पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. पुस्तकालय महाविद्यालय समय के अनुसार खुला रहेगा।
2. प्रत्येक छात्रा को प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र दिखाने पर पुस्तकालय से दो कार्ड मिलेंगे,. जिन्हें पुस्तक निकलवाते समय पुस्तकालय में प्रस्तुत करना होगा। पुस्तक जितने दिन छात्रा के पास रहेगी, कार्ड पुस्तकालय में रखा रहेगा और पुस्तक लौटाने पर कार्ड छात्रा को लौटा दिया जायेगा।
3. एक छात्रा एक बार में केवल दो पुस्तकें ही ले सकेगी।
4. एक छात्रा एक बार में किसी पुस्तक को अधिकतम 15 दिन तक रख सकती है। यदि पुस्तक अन्तिम तारीख तक नहीं लौटाई गई तो 5 रु. प्रतिदिन (अवकाश के दिनों सहित) विलम्ब शुल्क देना होगा।
5. पुस्तक एक बार देने के पश्चात् दूसरी बार ठीक आगामी अवधि के लिए तब ही दी जावेगी। जबकि अन्य विद्यार्थी ने उक्त पुस्तक की मांग न की हो। यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होगी और इसके समाप्त होने के पश्चात् तीसरी बार पुस्तक नहीं दी जायेगी।
6. पुस्तकालय की संदर्भ पुस्तकें किसी भी छात्रा को घर के लिए नहीं दी जायेगी।
7. पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय छात्रा देख ले कि पुस्तक में पृष्ठ सही है। यदि पुस्तक की वापसी के समय पृष्ठ कम पाये गये तो इसका उत्तरदायित्व उस छात्रा का ही होगा। पुस्तक से पृष्ठ फाडना पुस्तक को मृत्यु प्रदान करना है। यह एक जघन्य अपराध है। दोषी छात्रा को पुस्तक का पूरा मूल्य अदा करना होगा तथा उसे 50 रु. से दण्डित भी किया जा सकता है।
8. यदि पुस्तकालय कार्ड खो जाये तो पुस्तकालयाध्यक्ष के पास निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने व साथ में 50 रु. जमा कराने पर नया कार्ड दिया जा सकता है।
9. पुस्तकालय कार्ड पूर्णत: अहस्तांतरणीय होगा।
10. सत्र के समाप्त होने से पूर्व प्रत्येक छात्रा को सभी पुस्तकें, पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालयाध्यक्ष को लौटाकर बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसके बिना उसको परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा।
11. पुस्तकालय व वाचनालय संबंधी कोई भी कठिनाई होने पर छात्रा पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क करे।

(ख) वाचनालय सम्बन्धी नियम

(1) वाचनालय कक्ष में छात्राओं द्वारा बात करना, शान्ति भंग करना या अन्य पाठकों के अध्ययन में विघ्न डालना वर्जित है। जो छात्रा ऐसा करती पाई जायेगी उनके प्रति कडी कार्यवाही की जायेगी।

(2) छात्राओं को पत्र-पत्रिकाएँ घर के लिए नहीं दी जायेंगी।

(3) यदि छात्रा पुस्तकालय या वाचनालय की किसी सम्पत्ति, पुस्तक व पत्र-पत्रिका को किसी प्रकार से क्षति पहुँचाती पाई जाएगी तो उसे सख्त दण्ड दिया जाएगा। ऐसी अपराधीन को उस वस्तु की, जिसे क्षतिग्रस्त किया है पूरी कीमत देनी होगी तथा अपराध की गम्भीरता के अनुसार प्रचार्य द्वारा उसे अन्य दण्ड भी दिया जा सकता है।

शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

प्रवेशोत्सव

महाविद्यालय में माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रवेशोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, स्टाफ एवं बालिकाएं माँ सरस्वती का पूजन करके नवीन शिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हैं तथा नव प्रवेशी छात्राओं के तिलक लगाकर एवं मौली बाँधकर स्वागत किया जाता है। नवप्रवेशी छात्राओं का मुंह मीठा करवाकर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाऐं दी जाकर शिक्षण कार्य का शुभारंभ किया जाता है।

वृक्षारोपण

''हरियालो राजस्थान'' कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्रतिवर्ष माह अगस्त में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जिसमें पौधे लगाकर, लगाए गए पौधों को छात्राओं को गोद देकर उनको पालने की जिम्मेदारी भी कार्यक्रम अधिकारी द्वारा छात्राओं को दी जाती है।

शिक्षक दिवस

प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को महाविद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाता है। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्राध्यापकों को श्रीफल एवं उपहार प्रदान करके उनका सम्मान किया जाता है। तथा विशिष्ठ अतिथि एवं विशेषज्ञों को आमंत्रित कर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है।

कल्चरल टेलेन्ट सर्च कार्यक्रम

नव प्रवेशी छात्राओं के परिचय एवं उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करने हेतु माह सितम्बर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नवप्रवेशी छात्राओं के लिए रोचक एवं मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है एवं विभिन्न चक्रों में सफलता के आधार पर नवप्रवेशी छात्राओं में से ही ''मिस फ्रेशर'' एवं ''बेस्ट डांसर'' का भी चयन करके उन्हें ताज पहनाकर एवं ट्रॉफी प्रदान करके सम्मानित किया जाता है।

खेलकूद एवं स्काउट गाईड्स (रेन्जर्स)

1. महाविद्यालय खेलकूद के क्षेत्र में विशिष्टता रखता है। यहाँ निम्न खेलकूदों की व्यवस्था है-

   क्रिकेट, बॉलीबाल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिण्टन, भारोत्तोलन, टी.टी., खो-खो, कबड्डी, जूडो-कुस्ती एवं शतरंज।
2. महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष दिसम्बर/जनवरी माह के पूर्व में खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है एवं विजयी टीमों को पारितोषिक प्रदान किये जाते हैं। महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष छात्राओं को एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए भेजा जाता है।
3. छात्राओं में सेवा समर्पण एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करने हेतु स्काउट एवं गाइड्स के अन्तर्गत रेन्जर्स यूनिट का गठन किया गया है।

शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

राष्ट्रीय सेवा योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि छात्राएं शिक्षा के साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें एवं योग्य नागरिक बनें। महाविद्यालय में स्वतित्तपोषी इकाई के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कार्यरत है जो रुपनगढ़ क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता से सम्बन्धित कार्यों का संचालन करती है। विगत वर्षों में महाविद्यालय की छात्राओं ने श्रम दान के साथ वृक्षारोपण का कार्य किया। रुपनगढ़ कस्बे में विभिन्न स्थानों पर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, कन्या भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयों तथा पर्यावरण संरक्षण विषयक जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया। स्वयं सेविकाओं द्वारा रुपनगढ़ के विभिन्न घरों में बच्चों के टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं का सर्वे किया गया एवं उन्हें गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बतायी।

छात्र कल्याण समिति का गठन

महाविद्यालय में छात्राओं के अकादमिक, सास्कृतिक, खेल एवं स्पोर्ट्स तथा विभिन्न गतिविधियों में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा (सेक्शन) से 2-2 सर्वश्रेष्ठ छात्राओं का चयन छात्र कल्याण समिति हेतु किया जाता है। चुनी हुई छात्राऐं आम सहमति से अपनी एक कार्यकारिणी तैयार करती है जो सत्र पर्यन्त छात्राओं के कल्याण हेतु प्रबंध समिति, स्टाफ एवं छात्राओं के मध्य कड़ी का कार्य करते हुए छात्रा हितों एवं महाविद्यालय विकास में सहयोग प्रदान करती है।

स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम एवं एड्स दिवस

1 दिसम्बर को महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम मनाया जाता है। इस अवसर पर महाविद्यालय में पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाती तथा विशेषज्ञ डॉक्टर्स को आमंत्रित करके उनके व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को महाविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रम यथा प्रश्नोत्तरी, लघु विचार गोष्ठी, चर्चा परिचर्चा, पैनल परिचर्चा व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

शैक्षिक भ्रमण

महाविद्यालय में माह दिसम्बर की शीतकालीन अवकाश के दौरान शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में छात्राओं को राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर विभिन्न ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों इत्यादि का भ्रमण कराया जाता है।

राष्ट्रीय युवा सप्ताह समारोह

युवा सम्राट एवं युवाओं को निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानन्द की स्मृति में दिनांक 12 जनवरी से 18 जनवरी तक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा सप्ताह समारोह का आयोजन किया जाता है। सात दिवसीय इस समारोह में प्रत्येक दिवस छात्राओं के लिए अलग-अलग सांस्कृतिक, साहित्यिक,मनोरंजक एवं खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्रथम दिवस उद्घाटन समारोह धूमधाम से मनाया जाता है विगत वर्षों में श्री भागीरथ चौधरी पूर्व विधायक, किशनगढ़ एवं वर्तमान सांसद अजमेर, सरदार श्री जसवीर सिंह अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग राजस्थान, प्रो. घासीराम चौधरी अध्यक्ष ए.आई. फुक्टो, डॉ. राममूर्ति मीणा सहायक निदेशक, इग्नु जयपुर, डॉ. दिनेश राय सापेला आर.ए.एस. अधिकारी जैसी विभुतियों ने मुख्य अतिथि के रूप में पधारकर महाविद्यालय का मान बढ़ाया है तथा छात्राओं को आशीर्वाद प्रदान किया है। समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाकर सर्वश्रेष्ठ दल को विवेकानन्द ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह

महाविद्यालय फरवरी माह में वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन करता है जिसमें महाविद्यालय की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं द्वारा अपनी वरिष्ठ बहनों को विदाई दी जाती है। छात्राओं द्वारा रंगारंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा मनोरंजक प्रतियोगिताओं के माध्यम से मिस फेयरवेल का चयन किया जाकर सम्मानित किया जाता है।

राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् ! वन्दे मातरम् !
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्। शस्यश्यामलाम्, मातरम् ! वन्दे मातरम् !
शुभ्र ज्योत्स्ना, पुलकित यामिनीम्। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम्, सुमधुर भाषिणीम्। सुखदां वरदां मातरम् ! वन्दे मातरम्।

Swami Vivekanand Girls College

(Organised by Manu Social Welfare & Education Society, Jaipur)

Rai Ka Bag, Parbatsar Road, Roopangarh, Ajmer

E-mail : info@svmmcollege.com, Website : www.svmmcollege.com